



**प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०**  
**Pro. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.**  
(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

पत्रांक: पी.आर.एस.यू./अ.छा./189/2021

दिनांक: 09.02.2021

सेवा में,

समस्त प्रबंधक/प्राचार्य  
सम्बद्ध प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय  
प्रयागराज, उ०प्र०

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में समस्त वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संदिग्ध/सस्पेक्ट आवेदन पत्रों के विवरण को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन शुद्ध/त्रुटिरहित करने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया

अपर आयुक्त (प्रशासन), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के पत्रांक 83/पि.व.क./2020-21, दिनांक 08 फरवरी 2021 के माध्यम से उपरोक्त विषय पर दिनांक 10.02.2021 तक त्रुटि रहित किया जा सकता है।

(पत्र की प्रति संलग्न)

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में समस्त जबाबदेही सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

(श्रीमती दीप्ति मिश्रा)

उपकुलसचिव /

नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि:

01 कुलसचिव कार्यालय, सूचनार्थ।

02 सूचनापट्ट

03 एजेन्सी प्रभारी, इस आशय के साथ की इसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।

उपकुलसचिव

**कार्यालय आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।**

पत्रांक ०३

/पि०व०क०/२०२०-२१

दिनांक ०४ फरवरी, २०२१


- १- कुल सचिव, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय/  
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
- २- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज मण्डल।
- ३- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज मण्डल।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र २०२०-२१ में समस्त वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संदिग्ध/सस्पेक्ट आवेदन पत्रों के विवरण को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन शुद्ध/त्रुटिरहित करने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र २०२०-२१ में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया गया था, उन सभी छात्र/छात्राओं का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरने में कोई गलती किसी भी कारणवश हो गयी है, इनका भी डाटा संदेहास्पद श्रेणी के अन्तर्गत है। संदेहास्पद श्रेणी के समस्त आवेदन पत्रों को छात्र/छात्रा तथा शिक्षण संस्था के लागिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। समस्त प्रकार के संदेहास्पद आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा दिनांक १०.०२.२०२१ तक ही त्रुटिरहित किया जा सकता है।

उक्त अवधि के अन्दर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के लागिन पर उपलब्ध संदेहास्पद डाटा का अनिवार्य रूप से आनलाइन ही सुधार/निराकरण कराकर छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान स्तर पर दिनांक १०.०२.२०२१ तक आनलाइन अग्रसारण किया जाना है एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा संस्था के लागिन पर सुधार किये गये संदेहास्पद डाटा को दिनांक १३.०२.२०२१ तक डिजिटली आनलाइन अग्रसारण किया जाना है। छात्रों द्वारा त्रुटिरहित किये गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को विलम्बतम २०.०२.२०२१ तक सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी को साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अवधि के उपरान्त समस्त शेष संदेहास्पद डाटा (त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र) आनलाइन सुधार के अभाव में स्वयं निरस्त माने जाएंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से कड़े निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।



(मगवान शरण)

अपर आयुक्त (प्रशासन)  
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- २- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज, मण्डल।
- ३- समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को अनुपालनार्थ।
- ४- समस्त जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को १० प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- ५- प्रधानाचार्य, प्राचार्य/निदेशक, समस्त शिक्षण संस्थाएं, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

३०/०२/२०२१ (हस्ताक्षर)



अपर आयुक्त (प्रशासन)  
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

**कार्यालय आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।**

दिनांक 08 फरवरी, 2021

पत्रांक

/पि0य0क0/2020-21

- 1- कुल सचिव, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय/  
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज मण्डल।
- 3- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज मण्डल।

**विषय:-**वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में समस्त वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संदिग्ध/सस्पेक्ट आवेदन पत्रों के विवरण को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन शुद्ध/त्रुटिरहित करने के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया गया था, उन सभी छात्र/छात्राओं का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरने में कोई गलती किसी भी कारणवश हो गयी है, इनका भी डाटा संदेहास्पद श्रेणी के अन्तर्गत है। संदेहास्पद श्रेणी के समस्त आवेदन पत्रों को छात्र/छात्रा तथा शिक्षण संस्था के लागिण पर उपलब्ध करा दिया गया है। समस्त प्रकार के संदेहास्पद आवेदन पत्रों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा दिनांक 10.02.2021 तक ही त्रुटिरहित किया जा सकता है।

उक्त अवधि के अन्दर सम्बन्धित छात्र/छात्रा के लागिण पर उपलब्ध संदेहास्पद डाटा का अनिवार्य रूप से आनलाइन ही सुधार/निराकरण कराकर छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान स्तर पर दिनांक 10.02.2021 तक आनलाइन अग्रसारण किया जाना है एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा संस्था के लागिण पर सुधार किये गये संदेहास्पद डाटा को दिनांक 13.02.2021 तक डिजिटली आनलाइन अग्रसारण किया जाना है। छात्रों द्वारा त्रुटिरहित किये गये आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को विलम्बतम 20.02.2021 तक सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी को साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अवधि के उपरान्त समस्त शेष संदेहास्पद डाटा (त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र) आनलाइन सुधार के अभाव में स्वयं निरस्त माने जाएंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से कड़े निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

(भगवान शरण)

अपर आयुक्त (प्रशासन)  
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या 83 /तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज, मण्डल।
- 3- समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को अनुपालनार्थ।
- 4- समस्त जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज मण्डल को 10 प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया जनपद के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 5-प्रधानाचार्य, /प्राचार्य/निदेशक, समस्त शिक्षण संस्थाएं, प्रयागराज मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त (प्रशासन)  
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।